

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमट पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाज से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम हो।
सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
आवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2016/ 3485

दिनांक: 05-08-2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बंधित शासकीय एवं
अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषय:- निश्चित छात्र/ छात्राओं हेतु प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप एवं पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन
ऑनलाइन प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय क्लेक्टर (सामाजिक व्याय), जिला
ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक नि.छ./2015-16/ 2404 दिनांक 27.07.2016 में समस्त
सम्बंधित महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 तक आवश्यक रूप से संलग्न पत्र अनुसार
जानकारी भरकर सम्बंधित विभाग (संयुक्त संचालक सामाजिक व्याय एवं निश्चित जन कल्याण) की
ओर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) जिला ग्वालियर

कार्यालय दूरभाष नंबर 0751-2346967, ईमेल pswgwa@mp.nic.in

क्रमांक / नि०छा / 2015-16 / 2404

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16

ग्रन्ति:

- 1- कुल सचिव,
जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर
- 2- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग ग्वालियर
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर

विषय :- निशक्त छात्र/छात्राओं हेतु प्रीमिट्रिक स्कालरशिप एवं पोर्ट मट्रिक स्कालरशिप
के आवेदन ऑनलाईन प्रेषित करने के संबंध में
संदर्भ :- संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण म0प्र0 भोपाल का पत्र
क्रमांक / नि०को / 9 / 2015 / 1663 दिनांक 31-10-2015 एवं समग्र वी०सी०दि०नांक
8-7-2016 के पालन में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर का पत्र
क्रमांक / नि०छा / 2015-16 / 2240 ग्वालियर, दिनांक 12-7-2016

विषयांतर्गत संदर्भित शासन आदेश पत्र की प्रतिलिपि आपकी ओर सहज साधी हेतु गेजी जाकर शासनादेशानुसार समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को आपके स्तर से निर्देशित करने की लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर, द्वारा लिखा गया था, कि संबंधित संस्था के पालार्य पालन प्राप्त निशक्त छात्र/छात्राओं के आवेदन भारत सरकार की बैंकसाईट पर आनलाईन करताकर रखने अनुशंसा सहित जिलान्तर्गत नोडल अधिकारी (संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण) ग्वालियर को आवेदन हार्ड कॉपी अग्रेषित कर 10-अगस्त 2016 तक नियत रागावधि में भिजवाना सूनिश्चित करें। निःशक्त हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु योजना का प्रबार प्रसार किया जाने हेतु भारत सरकार की मार्गदर्शिका सामाजिक न्याय विभाग की बैंकसाईट पर भी उपलब्ध है। शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य द्वारा निःशक्त हितग्राहियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आनलाईन करने के मध्य मार्गदर्शिका की कंडिका 9 का विशेष रूप से अध्ययन कर ले, ताकि भविष्य में प्राचार्य इन संस्थानों की विद्यार्थियों को असुविधा न हो। किन्तु आज दिनांक तक किसी भी संबंधित शैक्षणिक साल के लिए निःशक्त पात्र आत्र/छात्रा का आवेदन ऑन लाईन होकर हार्ड कॉपी संयुक्त संचालक सामग्री द्वारा एवं निःशक्तजन कल्याण ग्वालियर को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः सेटल सेक्टर स्कीम के तहत निःशक्त जनों हेतु स्कालरशिप प्राप्त करने के संबंध में निःशक्त शर्तें कंडिका 5.1 एवं 5.3 ऐ पूर्ण रूप से उल्लेखित हैं। इस हेतु आवेदन कर्ता को भारत सरकार की बैंकसाईट पर विलक्षण करना होगा। अतः शासनादेशानुसार प्रचार प्रसार एवं निःशक्तजन छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रेषित कर भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर, आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक / नि०छा / 2015-16 / 2405

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक जन सम्पर्क विभाग ग्वालियर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- 2 जिला परियोजना समन्वयक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 वी०आ०सी०ग्वालियर/मुरार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 अधीक्षक शास्त्रीय दृष्टि एवं श्रवण वाधितार्थ उ०मा०वि० ग्वालियर/प्राचार्य, माध्यम आवाहन ग्वालियर के और आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16

कलेक्टर

जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16

कलेक्टर

जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16